संख्याः 10/2021/484/सत्रह-म-2021-6-9(258)/2017

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 22 मार्च,2021

विषयः अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक –2405- मछली पालन के अन्तर्गत मानक मद 01 वेतन मद से 16 व्यासायिक सेवायें मद में पुनवर्नियोग/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 143/पुनविर्नियोग /ले0शा0/ 2020-21 दिनांक 08.03.2021 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य,01-वेतन मद में हो रही बचतों से लेखाशीर्षक- 2405- मछली पालन, 800-अन्य व्यय 03- अनुसंधान सामान्य, 16-व्यासायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुदान मद में धनराशि रू0 1.65 लाख (रू0 एक लाख पैसठ हजार मात्र) का पुनर्विनियोग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य,01-वेतन मद में हो रही बचतों से 16- व्यासायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुदान मद में रू0 1.65 लाख (रू0 एक लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनिन्शयल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(2) बचत की जिस मद में पुनविर्नियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर धनराशि व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनविर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 व 18.05.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक – 2405- मछली पालन 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य,01- वेतन मद में हो रही बचतों से लेखाशीर्षक- 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य, 16-व्यासायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुदान मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के पुनर्विनियोग के संलग्न बी0एम0-9(भाग-1) प्रपत्र में अंकित आदेश संख्या-563आर0ई0/ई-1-326-दस-2021 दिनांक 17 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक – प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 10 /2021/ 484(1) /सत्रह-म-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(4) सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 की दो प्रतियों में) /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्ताव-158 देखें)

अनुदान संख्या- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (मत्स्य)

वित्तीय वर्ष 2020-21

प्रपत्र बी0एम0-9

(धनराशि रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान विनियोग/	आवेदन प्रपत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / (5-2)विनियोग
1	2	3	4	5	6
2405-मछली पालन,800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य, 01- वेतन (240500800030001)	4540.81	695.00	1.65	1.65	4539.16
योग -	4540.81	695.00	1.65	1.65	4539.16

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेखा शीर्षक (डिजिट को 15)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ पुनर्विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्यावतित कुल व्यय	सक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (8-9)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान(11+8) विनियोग /
7	8	9	10	11	12
2405-मछली पालन,800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य, 16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुदान (240500800030016)	3.00	4.65	1.65	1.65	1.35
योग -	3.00	4.65	1.65	1.65	1.35

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- स्तम्भ-3 मे उपलब्ध बचत का कारण।

(क) पदों के रिक्त रहने के कारण ।

संख्या- 563 आर0ई0 83 / ई-1-326-दस-2021 दिनांकः 17 मार्च,2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(क) 16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान वाद सम्बंधी लम्बित दायित्वों में प्राविधान अत्यन्त कम होने के कारण पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की मांग की जा रही है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम-कृपा शंकर यादव (अनु सचिव)
प्रशासकीय विभागः मत्स्य विभाग

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम- (फूल चन्द यादव)
अनु सचिव, वित्त।

संख्याः 10/2021/ 484(1)/सत्रह-म-2021 दिनांकः 22 मार्च,2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।
2- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में) ।
5- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम- कृपा शंकर यादव (अनु सचिव)
प्रशासकीय विभाग- मत्स्य विभाग ।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com